

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-33/2020/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08/02/2021

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 10.526 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. /F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र. /भू-प्रबंध/विविध-1 ए/115-832/2170, रायपुर दिनांक 04.12.2020।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र. /F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	झंडी	आरक्षित वन	321	262.983	0.5	0.014
2			कवर्धा	बोरला	आरक्षित वन	65	5525.505	0.5	0.275
3			कवर्धा	बोरला	आरक्षित वन	314	1301.745	0.5	0.065
4			कवर्धा	केसदा	आरक्षित वन	107	3508.056	0.5	0.176
5			कवर्धा	सिंगपुर	आरक्षित वन	80	3264.815	0.5	0.164
6			कवर्धा	सिन्धुपुरी	आरक्षित वन	99	6311.765	0.5	0.317
7			कवर्धा	पालक	आरक्षित वन	60	2454.059	0.5	0.122
8			कवर्धा	पालक	आरक्षित वन	61	3657.817	0.5	0.183
9			कवर्धा	सरोधा	आरक्षित वन	109	2396.802	0.5	0.121
10			कवर्धा	सुकवापारा	आरक्षित वन	64	4096.251	0.5	0.204
11			कवर्धा	चोरभट्टी	आरक्षित वन	63	2947.903	0.5	0.147
12			कवर्धा	चोरभट्टी	आरक्षित वन	313	2563.01	0.5	0.128
13			कवर्धा	आमानारा	आरक्षित वन	51	1366.665	0.5	0.069
14			कवर्धा	आमानारा	आरक्षित वन	52	2598.56	0.5	0.13
15			कवर्धा	लालपुर	आरक्षित वन	110	1155.311	0.5	0.058

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
16			पंडरिया पश्चिम	कुंकदुर	आरक्षित वन	445	154.431	0.5	0.008
17			पंडरिया पश्चिम	मुनमुना	आरक्षित वन	443	1365.978	0.5	0.068
18			पंडरिया पश्चिम	बिरहुलडीह	आरक्षित वन	490	3045.749	0.5	0.152
19			पंडरिया पश्चिम	लिमईपुर	आरक्षित वन	437	744.567	0.5	0.037
20			पंडरिया पश्चिम	पण्डरीपानी	आरक्षित वन	489	2103.579	0.5	0.106
21			पंडरिया पूर्व	पण्डरीखार	आरक्षित वन	505	932.628	0.5	0.046
22			पंडरिया पूर्व	चतरी	आरक्षित वन	526	870.273	0.5	0.043
23			पंडरिया पूर्व	चतरी	आरक्षित वन	527	384.919	0.5	0.019
24			पंडरिया पूर्व	चतरी	आरक्षित वन	528	1933.378	0.5	0.098
25			पंडरिया पूर्व	नरसिंहपुर	आरक्षित वन	550	1097.531	0.5	0.055
26			रेंगाखार	बोदलपानी	आरक्षित वन	103	1198.705	0.5	0.059
27			रेंगाखार	बोदलपानी	आरक्षित वन	124	3026.831	0.5	0.151
28			रेंगाखार	तितरी	आरक्षित वन	130	1938.248	0.5	0.097
29			रेंगाखार	रामपुर	आरक्षित वन	133	3013.73	0.5	0.151
30			रेंगाखार	रोल	आरक्षित वन	127	1900.617	0.5	0.095
31			रेंगाखार	सुप्खर	आरक्षित वन	128	2067.135	0.5	0.103
32			रेंगाखार	टर्म	आरक्षित वन	131	2680.417	0.5	0.134
33			रेंगाखार	अगरी	आरक्षित वन	134	581.418	0.5	0.029
34			रेंगाखार	लहबर	आरक्षित वन	125	1946.207	0.5	0.098
35			तरेगांव	ढोलबज्जा	आरक्षित वन	387	289.747	0.5	0.014
36			तरेगांव	कोटनापानी	आरक्षित वन	13	3555.068	0.5	0.179
37			तरेगांव	कोटनापानी	आरक्षित वन	14	2810.19	0.5	0.141
38			तरेगांव	कुकरापानी	आरक्षित वन	16	2261.64	0.5	0.111
39			तरेगांव	मुण्डदादर	आरक्षित वन	11	699.035	0.5	0.035
40			तरेगांव	मुण्डदादर	आरक्षित वन	391	1511.14	0.5	0.075
41			तरेगांव	छूही	आरक्षित वन	15	4283.127	0.5	0.215
42			तरेगांव	आमानारा	आरक्षित वन	28	752.672	0.5	0.038
43			तरेगांव	भलपहरी	आरक्षित वन	FDC 1	1292.79	0.5	0.065
44			तरेगांव	मुडघुसरी	आरक्षित वन	FDC 3	3823.066	0.5	0.19
45			तरेगांव	दुर्जनपुर	आरक्षित वन	FDC 5	638.796	0.5	0.032
46			तरेगांव	बांटीपथरा	आरक्षित वन	FDC 6	1096.855	0.5	0.055
47			तरेगांव	बांटीपथरा	आरक्षित वन	FDC 7	656.031	0.5	0.033
48			तरेगांव	खाम्ही	आरक्षित वन	FDC 10	1991.291	0.5	0.099
49			तरेगांव	बांटीपथरा	आरक्षित वन	FDC 9	3535.3	0.5	0.177
आरक्षित वनभूमि का योग-							103594.336	0.5	5.181
50	कबीरधाम	कवर्धा	खारा	खारा	संरक्षित वन	P177	1723.969	0.5	0.086
51			खारा	खारा	संरक्षित वन	P178	1669.151	0.5	0.084
52			खारा	बोदा	संरक्षित वन	P195	1029.453	0.5	0.051
53			खारा	मोहनपुर	संरक्षित वन	P264	2069.799	0.5	0.103
54			खारा	निवासपुर	संरक्षित वन	P173	730.091	0.5	0.037
55			खारा	निवासपुर	संरक्षित वन	P176	837.435	0.5	0.042
56			खारा	पण्डरीपानी	संरक्षित वन	P237	3380.398	0.5	0.169
57			खारा	रानीगुड़ा	संरक्षित वन	P192	2171.341	0.5	0.108
58			खारा	रानीगुड़ा	संरक्षित वन	P193	1491.662	0.5	0.075
59			खारा	रानीगुड़ा	संरक्षित वन	P244	529.429	0.5	0.026

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनमूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
60			खारा	रानीगुड़ा	संरक्षित वन	P245	1450.372	0.5	0.073
61			खारा	चोरहा	संरक्षित वन	P236	1316.403	0.5	0.066
62			खारा	चोरहा	संरक्षित वन	P238	1289.897	0.5	0.064
63			खारा	चोरहा	संरक्षित वन	P239	514.638	0.5	0.026
64			खारा	जमूनिया	संरक्षित वन	P260	757.721	0.5	0.038
65			खारा	जुनवानी	संरक्षित वन	P198	892.025	0.5	0.045
66			कवर्धा	खैरबना	संरक्षित वन	P317	531.079	0.5	0.027
67			कवर्धा	बाघुटोला	संरक्षित वन	P318	1803.448	0.5	0.09
68			कवर्धा	बोरला	संरक्षित वन	P315	829.491	0.5	0.041
69			कवर्धा	बैरख	संरक्षित वन	P310	2978.704	0.5	0.148
70			कवर्धा	केसदा	संरक्षित वन	P106	5333.999	0.5	0.266
71			कवर्धा	केसदा	संरक्षित वन	P319	462.033	0.5	0.023
72			कवर्धा	सुकवापारा	संरक्षित वन	P316	2612.349	0.5	0.13
73			पंडरिया पश्चिम	बदना	संरक्षित वन	491	1186.334	0.5	0.059
74			पंडरिया पश्चिम	कुई	संरक्षित वन	P439	3609.006	0.5	0.181
75			पंडरिया पश्चिम	कुई	संरक्षित वन	P440	848.068	0.5	0.042
76			पंडरिया पश्चिम	महीडबरा	संरक्षित वन	P492	811.134	0.5	0.041
77			पंडरिया पश्चिम	माठपुर	संरक्षित वन	P444	1416.53	0.5	0.071
78			पंडरिया पश्चिम	दमगढ़	संरक्षित वन	P446	366.322	0.5	0.018
79			पंडरिया पश्चिम	दमगढ़	संरक्षित वन	P447	1643.32	0.5	0.082
80			पंडरिया पश्चिम	दमगढ़	संरक्षित वन	P448	516.74	0.5	0.026
81			रेंगाखार	धामिनछीह	संरक्षित वन	P358	310.686	0.5	0.016
82			रेंगाखार	धामिनछीह	संरक्षित वन	P360	414.061	0.5	0.02
83			रेंगाखार	धामिनछीह	संरक्षित वन	P361	1133.357	0.5	0.057
84			रेंगाखार	धामिनछीह	संरक्षित वन	P362	1120.627	0.5	0.056
85			रेंगाखार	झलमला	संरक्षित वन	P337	1053.078	0.5	0.053
86			रेंगाखार	झलमला	संरक्षित वन	P338	1078.677	0.5	0.054
87			रेंगाखार	झलमला	संरक्षित वन	P342	1865.278	0.5	0.093
88			रेंगाखार	रामपुर	संरक्षित वन	P366	2531.891	0.5	0.127
89			रेंगाखार	रेंगाखार	संरक्षित वन	P364	1195.978	0.5	0.06
90			रेंगाखार	समनापुर	संरक्षित वन	P347	993.414	0.5	0.05
91			रेंगाखार	सुखर	संरक्षित वन	P353	1920.859	0.5	0.096
92			रेंगाखार	अंजना	संरक्षित वन	P352	615.556	0.5	0.03
93			लोहारा	बोटेसुर	संरक्षित वन	P266	1495.515	0.5	0.074
94			लोहारा	बोटेसुर	संरक्षित वन	P267	1243.336	0.5	0.062
95			लोहारा	मोहनपुर	संरक्षित वन	P189	1186.326	0.5	0.06
96			लोहारा	मोहनपुर	संरक्षित वन	P265	412.885	0.5	0.021
97			लोहारा	मोहनपुर	संरक्षित वन	P297	327.413	0.5	0.016
98			लोहारा	मिनमिनिया	संरक्षित वन	P240	811.212	0.5	0.041
99			लोहारा	मिनमिनिया	संरक्षित वन	P241	2803.828	0.5	0.141
100			लोहारा	मिनमिनिया	संरक्षित वन	P262	1758.823	0.5	0.088
101			तरेगांव	खड़ौदा खुर्द	संरक्षित वन	FDC 374P	1169.141	0.5	0.059
102			तरेगांव	बोदा-3	संरक्षित वन	FDC 421P	1041.136	0.5	0.052
103			तरेगांव	बैजलपुर	संरक्षित वन	FDC 420P	662.503	0.5	0.034
104			तरेगांव	बैजलपुर	संरक्षित वन	FDC 424P	478.272	0.5	0.024
105			तरेगांव	कुकरापानी	संरक्षित वन	FDC 414P	3217.847	0.5	0.16

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
106			तरेगांव	मुडघुसरी	संरक्षित वन	FDC 368P	2082.632	0.5	0.104
107			तरेगांव	मगरवाड़ा	संरक्षित वन	FDC 411P	3448.779	0.5	0.173
108			तरेगांव	मगरवाड़ा	संरक्षित वन	FDC 419P	1969.284	0.5	0.098
109			तरेगांव	भोंदा	संरक्षित वन	FDC 395P	2229.49	0.5	0.112
110			तरेगांव	भलपहरी	संरक्षित वन	FDC 432P	543.053	0.5	0.027
111			तरेगांव	तरेगांवजंगल	संरक्षित वन	FDC 412P	734.016	0.5	0.037
112			पंडरिया पूर्व	नरसिंहपुर	संरक्षित वन	FDC 1422P	162.095	0.5	0.008
113			पंडरिया पश्चिम	मुनमुना	संरक्षित वन	FDC 1397P	1492.433	0.5	0.075
114			पंडरिया पश्चिम	मुनमुना	संरक्षित वन	FDC 1405P	5276.651	0.5	0.264
115			पंडरिया पश्चिम	कुकदुर	संरक्षित वन	FDC 1472P	327.268	0.5	0.016
116			पंडरिया पश्चिम	बदना	संरक्षित वन	FDC 408P	1261.394	0.5	0.063
117			पंडरिया पश्चिम	बदना	संरक्षित वन	FDC 443P	320.75	0.5	0.016
118			पंडरिया पश्चिम	बदना	संरक्षित वन	FDC 444P	1323.076	0.5	0.066
119			पंडरिया पश्चिम	बदना	संरक्षित वन	FDC 445P	583.596	0.5	0.029
120			पंडरिया पश्चिम	बदना	संरक्षित वन	FDC 446P	1064.458	0.5	0.053
121			पंडरिया पश्चिम	कामटी	संरक्षित वन	FDC 1470P	240.418	0.5	0.012
संरक्षित वनभूमि का योग-						100703.433		0.5	5.035
122	कबीरधाम	कवर्धा	खारा	कोयलारझोरी	नारंगी वन	OA/10	472.553	0.0	0.023
नारंगी वनभूमि का योग-						472.553		0.5	0.023
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	कबीरधाम	कवर्धा	बोडला	नेवराटोला	राजस्व वन	101	173.156	0.5	0.008
2			बोडला	नेवराटोला	राजस्व वन	74	107.971	0.5	0.005
3			बोडला	बोल्दा कलां	राजस्व वन	36	388.054	0.5	0.019
4			बोडला	बोल्दा कलां	राजस्व वन	29	418.882	0.5	0.021
5			बोडला	बोल्दा कलां	राजस्व वन	1	54.201	0.5	0.003
6			बोडला	केसमर्दा	राजस्व वन	203	77.463	0.5	0.004
7			बोडला	कापा	राजस्व वन	3/1	446.273	0.5	0.022
8			बोडला	खैरबना कलां	राजस्व वन	17/1	178.322	0.5	0.009
9			बोडला	खैरबना कलां	राजस्व वन	28	297.024	0.5	0.015
10			पंडरिया	बकेला	राजस्व वन	87	43.268	0.5	0.002
11			पंडरिया	महिडबरा	राजस्व वन	158/1	524.279	0.5	0.027
12			पंडरिया	महिडबरा	राजस्व वन	70	104.985	0.5	0.005
13			पंडरिया	महिडबरा	राजस्व वन	79/1	170.997	0.5	0.009
14			पंडरिया	अमेरा	राजस्व वन	1	1222.333	0.5	0.061
15			पंडरिया	अमेरा	राजस्व वन	179/1	232.980	0.5	0.012
16			पंडरिया	पुटपुटा	राजस्व वन	232	239.589	0.5	0.012
17			पंडरिया	मंझौली	राजस्व वन	14	226.337	0.5	0.011
18			पंडरिया	गुडा	राजस्व वन	23/1	98.149	0.5	0.005
19			पंडरिया	सगौना	राजस्व वन	254	658.966	0.5	0.033
20			पंडरिया	सगौना	राजस्व वन	228	85.366	0.5	0.004
राजस्व वनभूमि का योग-						5748.595		0.5	0.287
कुल योग						210518.917 (210.518 कि.मी.)		0.5	10.526

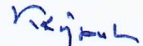
उक्त 210.518 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 10.526 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 5.181 हे., संरक्षित वन भूमि 5.035 हे. नारंगी क्षेत्र 0.023 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.287 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके ।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।
8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।
9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।
11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा ।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे ।
13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को निवेदन करेंगे ।
14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

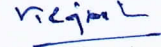

(के.पी.राजपूत) 8.2.21
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
क्रमशः 6

पृष्ठांकमांक/एफ-5-33/2020/10-2
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक ०८/०२/२०२१

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - 2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़ ।
 - 3.मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।
 - 4.वनमंडलाधिकारी, कवर्धा वनमंडल छत्तीसगढ़ ।
 - 5.आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग